राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **60 / 2022 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी 37 रीको 4 फेज, पुर रोड भीलवाड़ा जी —–अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करेडा जिला भीलवाड़ा —–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :–प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 03.08.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करेडा जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 21.06.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 905620 के साथ एक आवेदन दिनांक 09.05.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करेडा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2022 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, करेडा के पत्रांक सामान्य / सू.का.अधि. / 2022 / 892 दिनांक 22.07.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गयी सूचना के संबंध में अपीलार्थी को कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा के पत्रांक 656 व 657 दिनांक 14.05.2022 एवं पत्रांक 788 दिनांक 22.06.2022 से नियमानुसार शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु लिखा गया, परन्तु अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा न तो राशि जमा कराई गई एवं न ही उपखण्ड कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर सम्पर्क किया गया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार नियमानुसार राशि जमा नहीं कराये जाने से प्रत्यर्थी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करा वांछित सूचना प्राप्त करें।

आदेश आज दिनांक 03.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा